राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

निर्वाचनआवश्यक/फैक्स

संख्या 1117/रा0नि0आ0-2/786/2007 दिनांक 11/08/2008

प्रेषक,

जे0आर0लापड़
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

राज्य निर्वाचन आयोग: अनुभाग-2: दिनांक:

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2008 में नाम निर्देशन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राय: जनपदों से यह जिज्ञाशा व्यक्त की जा रही है कि क्या कोई व्यक्ति जिसका नाम दो जगह की निर्वाचन नामावलियों में या दो प्रादेशिक निर्वाचन नामावली में दर्ज है वह व्यक्ति निर्वाचन लड़ने का हकदार होगा अथवा नहीं।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली बनाने के लिए उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की **धारा 9- की उपधारा (6) व उपधारा (7)** में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं:-

धारा 9(6)-"कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।"

धारा 9(7)-"कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी या छावनी से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह यह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।"

उक्त अधिनियम की **धारा 9-क मत देने इत्यादि का अधिकार** के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान है:-

धारा 9-क-"मत देने इत्यादि का अधिकार-इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी (ग्राम पंचायत के किसी) प्रादेशिक

क्रमश:.....2

निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, (उस ग्राम पंचायत या सम्बन्धित न्याय पंचायत) में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति किये जाने के लिए पात्र होगा।"

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत) की **धारा 6(ग) व 18(ग) में मत का अधिकार,आदि** के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान है:-

''इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय, क्षेत्र पंचायत/ जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और क्षेत्र पंचायत/ जिला पंचायत की सदस्यता या किसी पद के निर्वाचन के लिए अर्ह होगा''।

अत: राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0.
(जे0आर0लापड़)
संयुक्त सचिव।

पत्रांक 1117/रा0नि0आ0-2/786/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वारा को छोड़कर)

2- समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचस्थानीय चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

ह0.
(जे0आर0लापड़)
संयुक्त सचिव।